

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 832]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 23, 2000/पौष 2, 1922 NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 23, 2000/PAUSA 2, 1922

No. 832]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2000

का.आ. 1144(अ).—मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) द्वारा 1 नवम्बर, 2000 के नियत दिन से ही छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया गया है;

और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) द्वारा 9 नवम्बर, 2000 के नियत दिन से ही उत्तरांचल राज्य बना दिया गया है ;

और बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) द्वारा 15 नवम्बर, 2000 के नियत दिन से ही झारखंड राज्य बना दिया गया है; और केन्द्रीय सरकार ने, छत्तीसगढ़ राज्य, उत्तरांचल राज्य और झारखंड राज्य में कंपनी रजिस्ट्रार नियुक्त करने की आवश्यकता महसूस की है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 कौ उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के अधीन कंपनियों के रिजस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड राज्य में, ग्वालियर, कानपुर और पटना स्थित कार्यालय होंगे तथा क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड उक्त तीन राज्यों में उक्त अधिनियम के अधीन कंपनियों के रिजस्ट्रीकरण के लिए ग्वालियर, कानपुर और पटना स्थित कंपनी रिजस्ट्रार को रिजस्ट्रार के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 2/11/2000-सी एल-V]

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2000

S.O. 1144(E).—Whereas the State of Chhattisgarh has been formed on and from the appointed day being the first day of November, 2000 by the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (28 of 2000);

And whereas the State of Uttaranchal has been formed on and from the appointed day being the 9th day of November, 2000 by the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (29 of 2000);

And whereas the State of Jharkhand has been formed on and from the appointed day being the 15th day of November, 2000 by the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000);

And whereas the Central Government has felt necessity of appointing the Registrar of Companies in the State of Chhattisgarh, the State of Uttaranchal and the State of Jharkhand;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby directs that there shall be offices at Gwalior, Kanpur and Patna for the purposes of the registration of companies under the said Act in the States of Chhattisgarh, Uttaranchal and Jharkhand and appoints the Registrars of Companies Gwalior, Kanpur and Patna as Registrars for the registration of companies under the said Act in the said three States of Chhattisgarh, Uttaranchal and Jharkhand respectively.

[F. No. 2/11/2000-CL-V]

A. RAMASWAMY, Jt. Secy.